इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 मार्च 2014—फाल्गुन 12, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2014

क्र. 3769-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) विधेयक, २०१४

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये राज्य की संचित निधि में से ७,४५,९३,५८,३०० रुपयों का दिया जाना.

२. **मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग सात सौ पैंतालीस करोड़ तिरानवे लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.**

विनियोग.

३. **इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.**

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण				
		राजस्व	०	१,९९,८०,०००	१,९९,८०,०००
		पूंजी	०	५,२६,००,०००	५,२६,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन				
		राजस्व	९,५०,१००	०	९,५०,१००
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	२६,००,०००	०	२६,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०३.	पुलिस				
		राजस्व	११,९४,००,०००	०	११,९४,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१,१३,०००	०	१,१३,०००
०५.	जेल				
		राजस्व	१,१०,००,०००	०	१,१०,००,०००
०६.	वित्त				
		पूंजी	१४,५४,००,०००	०	१४,५४,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		पूंजी	७,९०,०००	०	७,९०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		पूंजी	७,८०,००,०००	०	७,८०,००,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	०	२६,२२,७२,०००	२६,२२,७२,०००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	५००	०	५००
१४.	पशुपालन				
		राजस्व	३,१५,०००	०	३,१५,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	२,७५,७४,१००	०	२,७५,७४,१००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	१००	०	१००
२१.	आवास एवं पर्यावरण				
		राजस्व	२०,००,०००	४१,३००	२०,४१,३००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
२४.	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल				
		पूंजी	१,०००	०	१,०००
२६.	संस्कृति				
		राजस्व	४७,८४,००,०००	०	४७,८४,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	५००	०	५००
३२.	जनसंपर्क				
		राजस्व	२,८०,००,०००	०	२,८०,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	१७,७५,००,०००	०	१७,७५,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		राजस्व	१०,७७,१५,९००	०	१०,७७,१५,९००
		पूंजी	५५,५०,२००	०	५५,५०,२००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	१००	०	१००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
		राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	१००	०	१००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	३०,८४,७१,१००	०	३०,८४,७१,१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
५६.	ग्रामोद्योग				
		राजस्व	१००	०	१००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	२,५३,५३,००,०००	०	२,५३,५३,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
		राजस्व	४००	०	४००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		पूंजी	४,७३,८४,०००	०	४,७३,८४,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना				
		राजस्व	५०,४०,९००	०	५०,४०,९००
		पूंजी	१,११,००,२००	०	१,११,००,२००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास				
		राजस्व	२,७८,०७,०००	०	२,७८,०७,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	५,४०,५०,०००	०	५,४०,५०,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१,१२,००,००,१००	०	१,१२,००,००,१००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
		राजस्व	१००	०	१००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
		राजस्व	२००	०	२००
	योग	**राजस्व**	५,०६,६२,३९,४००	**२८,२२,९३,३००**	५,३४,८५,३२,७००
		पूंजी	२,०५,८२,२५,६००	**५,२६,००,०००**	२,११,०८,२५,६००
	वृहद योग :		७,१२,४४,६५,०००	**३३,४८,९३,३००**	७,४५,९३,५८,३००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग को प्राधिकृत करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ०१ मार्च, २०१४

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.